राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 30 / 2017

1. भाताराम पुत्र श्योपालराम उम्र 60 वर्ष
2. मालाराम पुत्र श्योपालराम उम्र 58 वर्ष
3. सत्यनारायण पुत्र श्योपाल राम उम्र 45 वर्ष
4. भोलाराम पुत्र श्योपालराम उम्र 42 वर्ष
5. सन्तोष पुत्री श्योपालराम उम्र 50 वर्ष
6. छाजूराम पुत्र नाहरूराम उम्र 61 वर्ष
7. झुमरराम पुत्र नाहरूराम उम्र 45 वर्ष
8. लाली बाई पुत्री नाहरूराम उम्र 58 वर्ष
9. भगवती पुत्री नाहरूराम उम्र 54 वर्ष
10. कालूराम पुत्र गुलाराम उम्र 75 वर्ष
11. मदन पुत्र भानाराम उम्र 58 वर्ष
12. ताराचन्द पुत्र भानाराम उम्र 52 वर्ष
13. रामजीलाल पुत्र भानाराम उम्र 48 वर्ष
14. फूलचन्द पुत्र बीजाराम उम्र 59 वर्ष
15. कैलाश पुत्र बीजाराम उम्र 55 वर्ष
16. शैतान पुत्र बीजाराम उम्र 51 वर्ष
17. शिम्भूराम पुत्र बीजाराम उम्र 47 वर्ष
18. हजारीलाल पुत्र प्रभूराम उम्र 62 वर्ष
19. सीताराम पुत्र प्रभूराम उम्र 58 वर्ष
20. नागरमल पुत्र प्रभूराम उम्र 50 वर्ष
21. मंगलचन्द पुत्र प्रभूराम उम्र 42 वर्ष
22. महेन्द्र पुत्र प्रभूराम उम्र 36 वर्ष

जाति माली निवासी ढाणी कुलियाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू, राज0

......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. मालाराम पुत्र सुखाराम उम्र 72 वर्ष
2. मदनलाल पुत्र सुखाराम उम्र 68 वर्ष
3. मातादीन पुत्र रामलाल उम्र 62 वर्ष
4. गीता देवी पत्नी बाबूलाल उम्र 58 वर्ष
5. शंकरलाल पुत्र बाबूलाल उम्र 26 वर्ष
6. मूलचन्द पुत्र बाबूलाल उम्र 24 वर्ष
7. रूडी बाई पुत्री बाबूलाल उम्र 28 वर्ष
8. सुन्दरलाल पुत्र रामजाल उम्र 44 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jay Singh
Date: 2022.11.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

9. गीता पुत्री रामलाल उम्र ..... वर्ष
10. सन्तरा पुत्री रामलाल उम्र ...... वर्ष
11. माली बाई पुत्री रामलाल उम्र ..... वर्ष
12. छाजूराम पुत्र गोरूराम उम्र 58 वर्ष
13. भागूराम पुत्र गोरूराम उम्र 54 वर्ष
14. उमराव पुत्र गोरूराम उम्र 44 वर्ष
15. भाती बाई पुत्री गोरूराम उम्र 48 वर्ष
16. मौसमी बाई पुत्री गोरूराम उम्र 40 वर्ष
17. बनाररसी पत्नी गोरूराम उम्र 75 वर्ष
जाति माली निवासीगण ढाणी कुलियाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी।
18. भगवान सिंह पुत्र मूंग सिंह उम्र 68 वर्ष
19. उमराव सिंह पुत्र मूंग सिंह उम्र 66 वर्ष
20. प्रभू सिंह पुत्र मूंग सिंह उम्र 64 वर्ष
21. जगदीश सिंह पुत्र मूंग सिंह उम्र 60 वर्ष
22. उषा कंवर पत्नी स्व. माल सिंह पुत्र वधु मूंग सिंह उम्र 62 वर्ष
23. सुरेन्द्र सिंह पुत्र माल सिंह नवीरा मूंग सिंह उम्र 26 वर्ष
24. राकेश सिंह पुत्र माल सिंह नवीरा मूंग सिंह उम्र 24 वर्ष
25. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह उम्र 52 वर्ष
26. श्योबक्स सिंह पुत्र गणपत सिंह उम्र 68 वर्ष
27. मानसिंह पुत्र गणपत सिंह उम्र 64 वर्ष
28. हरिसिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 63 वर्ष
29. जगदीश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 62 वर्ष
30. समदर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 60 वर्ष
31. नागर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 48 वर्ष
32. विक्रम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 42 वर्ष
33. नरेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह उम्र 34 वर्ष
34. हनुमान सिह पुत्र मूल सिंह उम्र 72 वर्ष
35. प्रभू सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 70 वर्ष
36. रोहिताश सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 68 वर्ष
37. मदन सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 66 वर्ष
38. महेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 64 वर्ष
39. गिरवर सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 62 वर्ष
40. कृष्ण सिंह पुत्र मूल सिंह उम्र 60 वर्ष
41. ग्यारसी सिंह पुत्र सुगन सिंह उम्र 58 वर्ष
सभी जाति राजपूत निवासी ढाणी मीनावाली ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जयप्रकाश सैनी – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ख्यालीराम सैनी – अप्रार्थी सं. 2, 12 से 17 की ओर से
3. श्री गिरधारी लाल सैनी – अप्रार्थी सं. 1, 3 से 6, 8, 9 की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक 02–08–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 224 के ख.नं. 1079 रकबा 0.02 है., ख.नं. 1080 रकबा 0.04 है., ख.नं. 1081 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 कुलरकबा 0.14 है. भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि गैर मुमकिन चाह व जाव है। इस भूमि में प्रार्थीगण सदैव से ही शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इस खातेदारी की भूमि में आवागमन के लिये ख.नं. 1084, 1060, 1057 जो ढाणी कुलियाला की आबादी भूमि से लगता हुआ आज से करीब 100 वर्षों पुराना रास्ता से करते आ रहे है जो कही पर 10 फीट व कहीं पर 12 फीट चौड़ा रास्ता है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में नहीं है। इस रास्ते का नजरी नक्शा एवं राजस्व विभाग का नक्शा साथ पेश है। ग्राम संयजनगर स्थित भूमि ख.नं. 1060 राजकीय एवं 1057 अप्रार्थीगण 1 लगायत 17 व ख.नं. 1084 अप्रार्थी सं. 18 लगायत 41 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौके पर उक्त भूमि काश्त काबिल नहीं है बल्कि 100 वर्षों से उक्त भूमि प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते के रूप में ही काम में आती रही है। तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 1079, 1080, 1081 तक पहुंचने के लिये मौजूद है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित एवं नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी सं. 1 ने नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए से बी तक अतिक्रमण कर पत्थरों का पारा लगाकर रास्ते को सकरा कर दिया जिससे प्रार्थीगण के आवागमन एवं जोत के समय ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में बाधा कारित करदी है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने एवं जोत, कृषि कार्य करने के लिये ट्रेक्टर आदि ले जाने के अधिकार उपयोग करना असम्भव हो गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से अपनी भूमि में जाने के लिये जो रास्ता ढाणी कुलियाला के आम रास्ते से प्रार्थीगण के कुए, खेतों तक

SV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested

जाता है को 12 फीट चौड़ा करने एवं अतिक्रमण नहीं करने बाबत कहा लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ने मना कर दिया। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए भी निवेदन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण इंकार हो गये। जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही विद्यमान रहा है और यही से ही उपयुक्त रास्ता संभव है। इसलिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की पालना करने के लिये तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 1079, 1080, 1081 में जाने के लिये ढाणी कुलियाला के आम रास्ते से 12 फीट चौड़ा रास्ता ख.नं. 1057, 1060 तथा 1084 से जो नजरी नक्शा के अनुसार 12 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमिम किया जावे व उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 2 व 12 लगा. 17 ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम संजयनगर स्थित जमाबन्दी संवत् 2070 लगायत 2073 के खाता सं. 268 के ख.नं. 1057 रकबा 0.05 है. में अप्रार्थी सं. 2 का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 12 लगा. 17 का 1/3 हिस्सा जिसे अप्रार्थी सं. 2 व 12 लगा. 17 अपने हिस्से को रास्ते के लिये अपनी ओर से बिना मुआवजा लिये ही त्याग/समर्पण करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण सं. 1, 3 लगा. 6 व 8, 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि प्रार्थीगण ने ख.नं. 1079, 1080, 1081 का अंकन किया है इन तीनों खसरा नंबर का कुल रकबा 0.14 है. है जिसकी किश्म गैर मुमकिन चाह व जाव है जो जोत के लिए नहीं है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जोत के लिए ही रास्ते की मांग की जा सकती है। ख.नं. 1057, 1084, 1083 में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा ना ही आज विद्यमान है और ख.नं. 1060 राजकीय खाता सं. 1 का भाग है और गैर मुमकिन कुआ है। प्रार्थीगण ने इस खण्ड में जिस रास्ते की मांग की है वह 100 वर्ष पुराना बताया है यदि 100 वर्ष पुराना रास्ता होता तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

आने पर व दौराने पैमाईश राजस्व रिकार्ड में अंकन आवश्यक रूप से होता। प्रार्थीगण ने काश्त की भूमि के लिए रास्ते की मांग नहीं की है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण सं. 18 से 42 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी सं. 7, 10, 11 के विरूद्ध अनुतोष नहीं होने पर इनकी तलबी बन्द की गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/357 दिनांक 23.06.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. वर्तमान ख.नं. 157 में एक मीटर चौड़ा रास्ता मौके पर चालू है। उक्त रास्ते को चौड़ा करने हेतु दोनो तरफ डेड मीटर बढ़ाया गया है।
2. ख.नं. 1057 में 100x2.50= 250 वर्गमीटर व ख.नं. 4340/1056 में 34x1.50=51 वर्गमीटर व ख.नं. 4338/1055 में 66x2.50 = 99 वर्गमीटर व ख.नं. 1060 में 32x4= 128 वर्गमीटर (राजकीय भूमि) किस्म गै.मु. चाह एवं ख.नं. 1084 में 120x4= 480 वर्गमीटर (राजकीय भूमि) किस्म गै.मु. चाह भूमि आती है।
3. दर्शित ख.नं. 1060 व 1084 की किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड है।
4. कुओं के सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने हेतु पर्याप्त भूमि शेष रहती है।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 1057, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 खाता सं. 224, खाता सं. 268, खाता सं. 1, खाता सं. 278 ग्राम संजय नगर, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम संजयनगर सन् 1979–80 क्रमांक 708 दिनांक 09.09.2016 व प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा दिनांक 27.02.2017 पेश किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत त्यौंदा का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1079, 1080, 1081 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:27 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1079, 1080, 1081 में जाने के लिए ढाणी कुलियाला के आम रास्ते से अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1057 रकबा 0.05 है. जो नक्शा में रास्तानुमा आकृति में है, सम्पूर्ण रकबे को तथा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1060 रकबा 0.03 है. में 32 मीटर लम्बाई में व 4 मीटर चौड़ाई में कुल 128 वर्गमीटर क्षेत्रफल में, राजकीय भूमि खसरा नंबर 1084 रकबा 0.11 है. में 120 मीटर लम्बाई में व 4 मीटर चौड़ाई में कुल 480 वर्गमीटर क्षेत्रफल में नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक खेतड़ी दिनांक 26.02.2021 में लाल स्याही से दर्शितानुसार (प्रदर्श–''अ'') पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 1079, 1080, 1081 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में खसरा नंबर 1057 में 500 वर्गमीटर, ख.नं. 1060 में से 128 वर्गमीटर व ख.नं. 1084 में से 480 वर्गमीटर कुल 1108 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। ग्राम संजयनगर की अधिकतम डी.एल.सी दर 1092798/–रू. प्रति हैक्टेयर है। रकबा 1108 की उक्त डी.एल.सी. दर से 121082/–रू. कीमत बनती है जिसका दुगुना प्रतिकर 2,42,164/–रू. बनता है। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब में अपने हिस्से की भूमि में निःशुल्क रास्ता राजहक में समर्पित किया है। खसरा नंबर 1057 में रकबा 250 वर्गमीटर की कीमत 54640/–रू. का अप्रार्थी सं. 2 को भुगतान नहीं करना है। चूंकि प्रतिकर की रकम के लिए अप्रार्थी सं. 1 सहमत नहीं है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की बाबत प्रार्थीगण कुल 1,87,524/–रू. तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 1057 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 मालाराम पुत्र सुखाराम जाति माली निवासी ढाणी कुलियाला ग्राम संजयनगर को 54,640/–रू. का भुगतान करेंगे तथा शेष राशि 1,32,884/–रू. राजकोष के प्राप्ति लेखा मद 0029–00–105–01–00 (सरकारी सम्पदाओं की बिक्री) में जमा करवायेंगे। तद्नुसार प्रदर्श–''अ'' के मुताबिक खसरा नंबर 1057, 1060, 1084 के रकबे में से रास्ते की बाबत 1108 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाता सं. 1 में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:27 IST
Reason: SelfAttested